

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 174/2022

तारीख दायर 17-5-22

रमेशचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) —प्रार्थी

बनाम

- 1- कैलाश पिता ताराचन्द्र जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 2- ओमप्रकाश पिता ताराचन्द्र जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 3- अनिल पिता ताराचन्द्र जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 4- छीतर पिता घीसा जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 5- जगन्नाथ पिता काना जाति धाकड़, उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0
- 6- भू-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियों जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक 17/5/2022

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री रमेशचन्द्र ने जरिये अभिभाषक श्री सुमित कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार क्षेत्र सुखपुरा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 119 आराजी नंबर 559/300 रकबा 0.4290 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार क्षेत्र सुखपुरा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियों खुर्द, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 119 आराजी नंबर 559/300 रकबा 0.4290 हैक्टेयर भूमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों जि-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियों